प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख Date of Application for the copy	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या जमा करने की निश्चित तारीख Date fixed for the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	तारीख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of mading over the copy to the applicant
12-8-13	12-8-13	12-8-13	13-8-13	13-8-13

FOLIO NOT AVAILABLE

सच्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 422

खाता नं० 248 वार्ड सं० 8 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

गाँव मोहल्ला परगना तौजी सं०
थाना पट्टी थाना सं०

स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहद्दी	भूमी का स्वरूप	रकबा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248	मो० अरशद हसन पिता मो० इस्माईल	422 a b c d		बाड़ी मकान कच्चा (खपड़) पोश मकान कच्चा (खपड़) पोश मकान कच्चा (खपड़) पोश	0·16·80 0·00·50 0·00·20 0·00·50 0·18·00		① काबिल लगान		नोट लो०एस० टी० एक्ट धारा 85(2)(ii) के मुकदमा नं० 18 सन 1998-99 के आदेशानुसार 5265 80 पै० (संताल ठाका खरसी पोबी) सालाना लेख मकान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान सन 1998-99 से वसूल होगा। ह० अस्पष्ट राजस्व पदाधिकारी ① कायमी यह खाता अभिलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा ... अधिनियम 1920 की धारा ... के ... हुआ और इसका अंतिम प्रकाशन ... 10.AUG.1979 ... को किया गया। अंतिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 18.AUG.1979 को हस्ताक्षरित हुआ। ह० अस्पष्ट बन्दोबस्त पदाधिकारी सिंहभूम

सच्ची प्रतिलिपि
13/8/13
अभिलेखपाल
सिंहभूम बन्दो०
जमशेदपुर

प्रतिलिपिक
13-8-13

तुलना किया
13/8/13

Certified to be True Copy
13/8/13
Head Clerk to the Settlement office
is authorised U/s 76 of the
Indian Evidence Act 1872